<u>न्यायालयः—सिविल न्यायाधीश, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी :— मनीष कुमार अग्रवाल, आर.जे.एस.
विविध दीवानी प्रकरण :— 04/2008

1— सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जेठानंद जाति अरोडा, निवासी वार्ड नम्बर—7, 53 जे ब्लॉक श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

2. सुनीता कुमारी पुत्री श्री जेठानंद जाति अरोडा, निवासी वार्ड नम्बर—7, 53 जे ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम्

1— रोशनलाल पुत्र श्री रामदित्ता जसूजा जाति अरोडा, निवासी सुजानगढ जिला चुरू हाल आबाद वार्ड नम्बर—7 जे ब्लॉक श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2— जुगलकिशोर पुत्र श्री रामदित्ता जसूजा जाति अरोडा, निवासी वार्ड नम्बर 7 जे ब्लॉक श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

———————————————————

<u>प्रतिनिधित्व</u>ः—

1— श्री नवीन मिडढा, अधिवक्ता—प्रार्थीगण।

2— श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता—अप्रार्थीगण।

न्यायालय द्वाराः— —:: <u>आदेश</u> ::— दिनांकः—06.11.2017

1. इस निर्णय द्वारा प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 19.11.2007 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इन संक्षिप्त अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा एक दावा संख्या 07/2007 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 05/2007 माननीय

न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत कर रखा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के प्लॉट संख्या 53 जे ब्लॉक श्रीविजयनगर में दक्षिण दिशा में बनी दीवार को छीलकर तोडने व विवादित दीवार में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से बाज व ममून रहे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.09.2007 को माननीय न्यायलय द्वारा निर्णय करते हुए आदेश दिया गया कि '' प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बलहीन होने से खारिज किया जाता है लेकिन धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायहित में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे सांझी दीवार को तोडकर/छिलकर निर्माण कार्य कराते वक्त प्रार्थीगण के हिस्से की दीवार को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान कारित नहीं करे।'' माननीय न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत पाबन्द होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने जानबूझकर बदयान्तिपूर्वक माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2007 की अवमानना व अवहेलना कर दिनांक 21.09.2007 को प्रार्थीगण के मकान संख्या 53 जे ब्लॉक श्रीविजयनगर की दीवार साईज 10 गुणा 12 फुट लम्बी व ऊंची को अप्रार्थीगण ने अपने प्लॉट संख्या 44 जे ब्लॉक की तरफ से मजदूर मिस्त्री की सहायता से छिलकर तोडना शुरू कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अपने प्लॉट संख्या 53 जे ब्लॉक की दीवार को छिलने व तोडने अप्रार्थीगण को रोका और प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि उक्त दीवार को तोडने से प्रार्थीगण के कमरे की छत गिर जायेगी और प्रार्थीगणका नुकसान होगा। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए प्रार्थीगण के प्लॉट संख्या 53 जे ब्लॉक की दीवार को तोड दिया गया और प्रार्थीगण के कमरे की छत को भी गिरा दिया। उक्त तोडफोड़ की इत्तिला प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना श्रीविजयनगर, डीएसपी रायसिंहनगर, तहसीलदार श्रीविजयनगर को दी गई परन्तु अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। अन्त में अनुतोष याचित करते हुए अप्रार्थीगण को आदेश की अवमानना के कार्य के लिए तीन माह की दीवानी कैद, अप्रार्थी की चल, अचल सम्पत्ति की कुर्की व अप्रार्थीगण के खर्चे पर पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के

तथ्यों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया गया है कि अप्रार्थीगण ने कभी भी माननीय न्यायालय के आदेशो की अवहेलना नहीं की है। अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेशो का सर्वदा पूर्णतया सम्मान करते है और करते रहेंगे। प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थीगण को तंग परेशान व हैरान परेशान करने के लिए उनके विरूद्ध अवमानना के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना–पत्र मात्र एक बात को घुमाफिरा कर झूठे आरोप लगा कर पेश करते आ रहे है ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की झूठी कार्यवाही से तंग परेशान होकर अपना यह मकान सस्ते दामो पर प्रार्थीगण को बेचकर यहां से चले जाये। प्रार्थीगण की यह मात्र अप्रार्थीगण को भगाने की एक चाल है। न्यायालय के आदेशों के पश्चात् विवादित दीवार में कोई छेड़छाड़ नही की गई। प्रार्थना पत्र में लिखी गई बात मात्र दरख्वास्त को रंग देने के लिए बनाई गई है। प्रार्थना पत्र सोच समझकर एवं योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। तभी तो घटना के दो माह बाद प्रार्थना पत्र बनाया गया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को यहां से भगाना चाहते है ताकि वे अपना मकान सस्ते में प्रार्थीगण को बेच देंवे तभी झूठे प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र लगाये जा रहे है। पूर्व में भी दो प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किये गये है जो पूर्णतया झूठे है। अन्त में प्रार्थना पत्र तंग,परेशान करने मात्र के लिए पेश किया जाना व्यक्त कर सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थी पक्ष ने अपने अभिवचनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप ए.ड–1 सुरेन्द्र कुमार, ए.ड–2 सुनीता कुमारी एवं ए.ड–3 वेदप्रकाश उर्फ विनोद कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई व प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप अवमानना प्रार्थना पत्र प्रदर्श–1, न्यायालय का आदेश प्रदर्श–2, फोटो के नेगेटिव प्रदर्श–3, असल समाचार पत्र प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये।

4. खण्डन स्वरूप अप्रार्थी पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप स्वयं रोशनलाल एन.ए.ड–1 की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई।

5 बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थी पक्ष ने अपने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। उभय पक्ष के तर्क–वितर्क पर मनन किया गया। मूल वाद, विविध दीवानी प्रकरण व हस्तगत प्रकरण की पत्रावली व सम्बन्धित विधि का

अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण प्रश्न है कि–

1. क्या अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.09.2007 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना की गई है?
2. यदि हॉ तो उचित दण्ड क्या होगा?

6. अभिलेख पर उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्याकंन किया जावे तो पत्रावली पर यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा एक वाद–पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2007 को प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.09.2007 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायहित में अप्रार्थीगण को सांझी दीवार को तोडकर/छीलकर निर्माण कराते वक्त प्रार्थीगण के हिस्से की दीवार को क्षति/नुकसान कारित नहीं करने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण ए.ड–1 सुरेन्द्र, ए.ड–2 सुनीता ने सशपथ कथन किया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी अप्रार्थीगण ने विवादित दीवार को छीलकर व प्रार्थीगण के कमरे की छत को गिराकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना व अवज्ञा की है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद अप्रार्थी पक्ष द्वारा विवादित दीवार मे कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया व प्रार्थी पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित दीवार में निर्माण किया गया था। न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.09.2007 को विवादित दीवार के सम्बन्ध में पारित आदेश के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य कर एव प्रार्थीगण के कमरे की छत को गिराकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की गई है अथवा नहीं इसका निर्धारण करने के लिए न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2007 से पूर्व विवादित दीवार की स्थिति व आदेश के पश्चात् विवादित दीवार की स्थिति का विवेचन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मूल वाद की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के पैरा संख्या–4 में वादी/प्रार्थी पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी ने विवादित दीवार को छीलकर प्रार्थीगण के प्लॉट संख्या 53 जे ब्लॉक की जगह में 6 ईन्च ईन्ट नींव में दबाकर प्रार्थी पक्ष के प्लॉट की

जगह में कुछ निर्माण कर लिया है। इस प्रकार स्वयं प्रार्थी पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मूल वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व व विवादित दीवार के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जाने के पूर्व ही अप्रार्थी पक्ष द्वारा विवादित दीवार में कुछ निर्माण कर लिया गया था परन्तु प्रार्थी पक्ष ने अपने वाद पत्र में निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नही किया है। अप्रार्थी पक्ष के द्वारा उक्त विवादित दीवार में किस प्रकार का निर्माण कार्य व कितनी फुट ऊंची अथवा लम्बी दीवार का निर्माण कार्य किया जा चुका है के सम्बन्ध में प्रार्थी पक्ष का वादपत्र मौन है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकित 17.07.2007 में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा 44 जे ब्लॉक के उत्तर में चार ईन्च सीमिटेंड व पक्की इन्टो से दीवार जमीन से लगभग 20 फुट की उंचाई तक निर्मित की जा चुकी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रकट हेाता है कि अप्रार्थी पक्ष के द्वारा विवादित दीवार में आदेश से पूर्व ही 20 फुट उंची दीवार का निर्माण किया जा चुका था। पत्रावली पर उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार भी भूखण्ड संख्या 44 जे ब्लॉक में विवादित दीवार में पांच ईन्च नई दीवार का निर्माण प्रतिवादी/अप्रार्थी पक्ष के द्वारा किया गया है । प्रार्थी पक्ष का यह कथन रहा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अप्रार्थी पक्षद्वारा विवादित दीवार को छीलकर/तोड़कर प्रार्थीगण के कमरे की छत को गिरा दिया गया। न्यायालय के आदेश के पश्चात् निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रार्थी पक्ष के द्वारा विवादित दीवार के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है परन्तु उक्त फोटोग्राफ पर फोटोग्राफ खींचे जाने की दिनांक व समय अंकित नहीं है जिसके अभाव में यह साबित नहीं माना जा सकता कि उक्त फोटोग्राफ न्यायालय के आदेश के पूर्व व आदेश के पश्चात् किये गये निर्माण की फोटोग्राफ है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद विवादित दीवार पर किये गये निर्माण व प्रार्थीगण की कमरे की छत को तोड़कर पहुंचाये गए नुकसान के सम्बन्ध में प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि न्यायालय के आदेश के पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने विवादित दीवार मे निर्माण कार्य किया हो व प्रार्थीगण की कमरे की छत को तोडकर नुकसान पहुंचाया न्यायालय के आदेश के पश्चात् भी विवादित दीवार में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही पुनः सर्वे

कमिश्नर को नियुक्त करवाया गया है। यद्यपि मूल वाद पत्र में प्रार्थी पक्ष की प्रार्थना पर पुनः कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु कमिश्नर के मौका पर जाने पर स्वयं प्रार्थी/वादी पक्ष ने मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं करवाया जाना व्यक्त कर मौका की स्थिति की रिपोर्ट लेने में सहयोग नही किया। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि स्वयं प्रार्थी पक्ष मौके की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर नही लाना चाहता है। यद्यपि प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थीगण द्वारा की गई तोडफोड़ की लिखित सूचना पुलिस थाना श्रीविजयनर, डी.एस.पी. रायसिंहनगर, तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिये जाने का कथन किया है परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट भी प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा दिनांक 21.09.2007 को निर्माण कार्य किये जाने का अभिकथन किया गया है परन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र करीब दो माह के अयुक्तियुक्त विलम्ब के पश्चात् दिनांक 19.11.2007 को प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवज्ञा या भंग के मामलो में सिविल मामलो की अपेक्षा प्रार्थी पक्ष को मामला अधिक प्रबल तौर पर साबित करना होता है परन्तु प्रार्थी पक्ष अपनी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अप्रार्थी पक्ष ने विवादित दीवार को छीलकर/तोड़कर प्रार्थी पक्ष के कमरे की छत को गिराकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है । अतः प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7 निष्कर्षतः प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार व सुनीता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थी पक्ष रोशनलाल, जुगलकिशोर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मनीष कुमार अग्रवाल)

8 आदेश आज दिनांक 06.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार अग्रवाल)